न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–11/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री हुक्माराम पिता रूपा गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

---प्रार्थी

बनाम

1. श्री युसूफ मो0 पिता वली मोहम्मद मोची निवासी करेडा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
2. श्री बाबु मुरतकीन पिता रहमतुल्ला मोची निवासी करेडा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
3. श्री मोहम्मद गनी पिता रहमतुल्ला मोची निवासी करेडा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
4. रईशा बानु पिता रहमतुल्ला मोची निवासी करेडा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
5. सलमा बानु पिता रहमतुल्ला मोची निवासी करेडा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
6. जमीला बानु पिता रहमतुल्ला मोची निवासी करेडा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
7. श्रीमति बशीरन बानु पत्नि रहमतुल्ला मोची निवासी करेडा त0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री ताराचंद जैन – अधिवक्ता–प्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांकः– 15.11.2017

प्रार्थी के द्वारा यहां विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम करेडा तह0 करेडा की आ0 न0 2553/1 रकबा 14 बिस्वा के खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजी पर आने जाने का कदीमा रास्ता करेडा भैरूखेडा सरकारी कच्चे रास्ते से होकर ग्राम करेडा की आराजी नम्बर विपक्षी संख्या 2 से 7 की आ0न0 2355 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे से होकर विपक्षी संख्या 1 की आ0न0 2356 की पश्चिमी उत्तरी मेड पर होकर प्रार्थी अपनी आराजियात में प्रवेश करता है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 की आ0 न0 2356 व विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 की आ0न0 2355 में 30 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे में दर्ज करने की आज्ञा फरमावें।

उपखंड अधिकारी सहायक कलक्टर

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने से पंजीबद्ध कर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण की और

Scanned by CamScanner

से अधिवक्ता राजेश तिवाडी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाइल किया गया। न्यायालय द्वारा मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेडा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

इस न्यायालय को उपखण्ड न्यायालय नवीन सृजित हो जाने से न्यायालय मांडल से यहां अंतरित होकर प्राप्त हुई। तत्पश्चात् संबधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं पेशियों की निर्धारित हो जाने की सूचना बार एसोसिएशन मांडल को भेजी गई।

पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित पेशी पर पेश हुई, पक्षकारों को आवाज लगाई गई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये व विपक्षीगण की और से कोई उपस्थित नहीं होने से न्यायालय समय तक इंतजार करने के बाद पूर्व की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर अब तक विपक्षीगण की और से आवश्यक एवं शीघ्र निस्तारण की प्रकृति के मामले को मध्यनजर रखते हुए जवाब का कोई अन्य कोई अवसर दिया जाना उचित न समझते हुये विपक्षीगण की जवाबदेही को बंद की जाकर एकपक्षीय कार्यवाहीं करने के आदेश पारित कर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस, एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की और इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार हुक्माराम पिता रूपा गुर्जर सा. रघुनाथपुरा के आ0 न0 2553/1 रकवा 14 बिस्वा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आ0 न0 2355 रकबा 09 बिस्वा विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 व आ0न0 2356 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है तथा उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में आ0न0 2355 रकबा 09 बिस्वा में से 02 बिस्वा भूमि एवं आ0न0 2356 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 2 बिस्वा कुल रकबा 04 बिस्वा भूमि आती है। रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षीगण को देय है प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आ0 न0 2553/1 रकबा 14 बिस्वा भूमि में जाने के लिये विपक्षी संख्या 1 की आ0न0 2356 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बिस्वा एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 की आ0न0 2355 रकबा 09 बिस्वा में से 02 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 04 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी हक की आ0 न0 2356 में से 02 बिस्वा व विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 की खातेदारी हक की आ0न0 2355 में से 02 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि (4 गढ्ठा चौडाई) का रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावें कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 04 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से दोगुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 को क्षतिपूर्ति हेतु दी जावें। विपक्षीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि नहीं लेने पर राजकोष में जमा की जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner